

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-500/11**

**संस्थापित दिनांक-05.11.2011**

**Filing no- 235103002612011**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- पवन अहिरवार पुत्र भवूतिया अहिरवार उम्र 38 साल 2- सन्नू पुत्र भवूतिया उम्र 51 साल निवासीगण- ग्राम चकला बाबडी थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपीगण

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 12.12.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 336, 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 25.08.2011 को समय सुबह 8 बजे स्थान फरियादिया लच्छोबाई के घर के सामने चकला बाबडी लोकस्थल में आपने उसे मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में लच्छोबाई को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की।

**02-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया लच्छोबाई ने थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 25.08.2011 को सुबह 8 बजे करीब वह अपने घर के बाहर खडी थी तो उसके पड़ौसी पवन व सन्नू उसे पुरानी रंजिस पर से मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दे रहे थे, उसने गाली देने से मना किया तो बोले कि उसने उनके भांजे की रिपोर्ट करके जेल में बंद कराया था और पत्थर उठाकर दोनो ने लापरवाही पूर्वक मारे कुछ पत्थर उसके घर में पड़े तथा कुछ पत्थर उसे लगे जिससे उसके बांयी आंख के नीचे लगा सूजन आ गई तथा एक पत्थर बांये पैर के घुटने के नीचे तथा एक दाहिने घुटने के नीचे लगा मुंदी चोट आई, एक पत्थर सिर के पीछे की ओर लगा खून निकल आया। उस समय राजेश जैन तथा सोनू खंगार थे जिन्होने घटना देखी है। पुलिस ने आरोपीगण गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**03—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-**

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.08.2011 को समय सुबह 8 बजे स्थान फरियादिया लच्छोबाई के घर के सामने चकला बाबडी लोकस्थल में आपने उसे मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
3.	क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में लच्छोबाई को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**विचारणीय प्रश्न क01:-**

**05—** अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 1 साल पूर्व की होकर सुबह 8 बजे की है। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण आए और मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दी। **विष्णु प्रसाद वि0 म0प्र0 राज्य 1975 जे.एल.जे 148** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती हैं ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते हैं किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादिया लच्छोबाई अ0सा01 द्वारा उसके कथनों में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्त ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्त ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

**विचारणीय प्रश्न क्र. 2 व 3 :-**

**06—** विचारणीय प्रश्न क्र० 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। लच्छोबाई अ०सा०1 ने उसके कथनों में बताया कि आरोपीगण ने रात को गाली गलौच की थी, आरोपीगण सुबह आए और मारपीट करने लगे। दोनों आरोपीगण ने उसे आंगन में से खींचकर घर में से निकालकर मारा। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण का भानेज उनकी लडकी को लेकर भाग गया था जिसकी रिपोर्ट की थी जिससे वह जेल चला गया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपीगण ने पत्थर उठाकर मारे जो उसके घर में गिरे और उसमें लगे। उक्त पत्थर उसकी आंख के पास लगे और पैरों में लगे तथा सिर में पीछे की ओर लगे जिससे खून निकल आया था। घटना को राजेश व सोनू ने देखा था। घटना के संबंध में उसके द्वारा प्र.पी.1 की रिपोर्ट की थी। पुलिस मौके पर आई थी और नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे और उसका ईलाज चंदेरी अस्पताल में हुआ था। प्र.पी.1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर फरियादी लच्छोबाई अ०सा०1 का निशानी अंगुठा होने से उसे उक्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाई तो उसने कहा कि उसने वैसी ही रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने बताया कि उसने चाकू से मारने वाली बात भी लिखाई थी लेकिन पुलिस ने नहीं लिखी थी।

**07—** प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपीगण आए और उसे घर में से खींचकर आंगन में डालकर पत्थर आदि से मारा और आरोपीगण चाकू भी लिये थे। आरोपीगण 15-20 लोग थे, परन्तु उसे केवल सुन्नू एवं पवन ने मारा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बताया कि दोनों आरोपीगण लाठी लिये थे वह यह नहीं बता सकती कि दोनों आरोपीगण में से किसने उसे लाठी से मारा था और किसने हाथों से मारा था। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा कि दोनों आरोपीगण ने मारा था, इसके अलावा किसी और ने हाथ नहीं लगाया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी सुन्नू व पवन ने उसकी कोई मारपीट नहीं की तथा इस बात से भी इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रही है।

**08—** राजेश अ०सा०2, सोनू परिहार अ०सा०3 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण एवं फरियादी लच्छोबाई को जानने वाली बात व्यक्त की किन्तु उक्त साक्षीगण ने बताया कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**09—** डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०4 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 25.08.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में बीएमओ के पद पर पदस्थ था और

उक्त दिनांक को उसके द्वारा थाना चंदेरी के आरक्षक धर्मसिंह द्वारा लच्छोबाई को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था जिसमें उसे एक फटा घाव जो सिर के पीछे ऑक्सीपिटल भाग पर था, नीलगू निशान जो दाहिने घुटने पर सामने की ओर स्थित था, नीलगू निशान जो बांयी टांग के मध्य में सामने की ओर स्थित था, नीलगू निशान जो बाएं गाल के मैगजिला भाग पर स्थित था। उक्त समस्त चोटों पर सुजन, दर्द और घाव पर खून के थक्के जमें थे। उक्त चोटे सख्त एवं वोथरी वस्तु से आकर साधारण प्रकृति की थी जो साक्षी के मेडिकल परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी, उसके द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियों से गिरे तो प्र.पी.5 में वर्णित चोटे आना संभव है, किन्तु यहां यह उल्लेखनिय है कि फरियादी को सीढ़ियों से गिरने से चोट आने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई सुझाब नहीं दिये गये हैं।

**10—** एस.एस.गौर अ0सा05 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 25.08.2011 को थाना चंदेरी में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा अ0क्र0 **367 / 11** धारा 336, 323, 294 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना में उसके द्वारा फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था और आरोपी पवन व सुन्नू को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 एवं 7 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से स्पष्टतः इंकार किया कि उसने प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की।

**11—** प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 के कथन उपर वर्णित साक्ष्य के अनुरूप ही रहे हैं और उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी गंभीर विसंगति या दुर्लभता से ग्रस्त नहीं हैं और उक्त साक्षी की साक्ष्य इस बात पर सारतः अखण्डनीय रही है कि आरोपी पवन व सुन्नू द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। आहत लच्छोबाई अ0सा01 को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा04 की साक्ष्य से भी होता है। **म0प्र0 शासन बनाम हमीम खान 1999 "2" जेएलजेपी-310** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

**12—** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी लच्छोबाई अ0सा01 की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। **रोकड सिंह बनाम म0प्र0 राज्य एमपीएलजे 1996** पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि

साक्षी द्वारा वृत्तांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृत्तांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृत्तांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढ़ाने का संकेत मिलता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहति किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी लच्छोबाई अ0सा01 द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे हैं तथा लच्छोबाई अ0सा01 के कथनों की संपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटों का समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा04 के कथनों से भी होता है। अभिलेख पर आहत लच्छोबाई अ0सा01 एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

**13—** जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया उपरोक्त उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखते थे कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से स्वयं फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 या किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 336 भा0द0स0 का आरोप प्रमाणित न होने से आरोपीगण को उक्त आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित होने से दोषसिद्ध पाया जाता है।

**14—** दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-500 / 11  
Filling no- 235103002612011

**पुनश्च:-**

**15-** उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण में आहत महिला लच्छोबाई अ०सा०१ को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

अभियुक्त	भा०दा०वि० की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
पवन	323 / 34	1 माह	500 / -	15 दिन
सुन्नु	323 / 34	1 माह	500 / -	15 दिन

**16-** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**17-** प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

**18-** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-500 / 11

**Filling no- 235103002612011**